



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092021-229653
CG-DL-E-15092021-229653

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520]
No. 520]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 2021/भाद्र 24, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2021/BHADRA 24, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 634(अ).—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात्, अखिल भारतीय सेवा नियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. – (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 2021 है।
(ii) ये राजपत्र अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 11 में उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4) उप-नियम (1), (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सेवा का कोई सदस्य भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का सदस्य होते हुए समय-समय पर यथा-संशोधित विदेशी अभिदाय (दान या भेंट की स्वीकृति या प्रतिधारण) नियम, 2012 के उपबंधों के अनुसार विदेशी उच्च पदाधिकारियों से दान प्राप्त और प्रतिधारित कर सकता है।”

[फा. सं. 11017/01/2019-अ.भा.से.-III]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम संख्याक सा.का.नि. (3) तारीख, 4 जनवरी, 1969 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए थे, अर्थात :-

- (i) सा.का.नि. 878, तारीख 06 जून, 1970;
- (ii) सा.का.नि. 417, तारीख 23 जुलाई, 1971;
- (iii) सा.का.नि. 405, तारीख 07 अप्रैल, 1973
- (iv) सा.का.नि. 834, तारीख 10 अगस्त, 1974;
- (v) सा.का.नि. 1017, तारीख 17 जुलाई, 1976;
- (vi) सा.का.नि. 1766, तारीख 25 दिसम्बर, 1976;
- (vii) सा.का.नि. 678, तारीख 04 जून, 1977;
- (viii) सा.का.नि. 1717, तारीख 31 दिसम्बर, 1977;
- (ix) सा.का.नि. 151, तारीख 28 जनवरी, 1978;
- (x) सा.का.नि. 583, तारीख 06 मई, 1978;
- (xi) सा.का.नि. 1122, तारीख 08 सितम्बर, 1979;
- (xii) सा.का.नि. 1103, तारीख 25 अक्तूबर, 1980;
- (xiii) सा.का.नि. 1134, तारीख 01 नवम्बर, 1980;
- (xiv) सा.का.नि. 1009, तारीख 02 नवम्बर, 1985;
- (xv) सा.का.नि. 34, तारीख 17, जनवरी, 1987;
- (xvi) सा.का.नि. 657, तारीख 02 अगस्त, 1988;
- (xvii) सा.का.नि. 52, तारीख 04 फरवरी, 1995;
- (xviii) सा.का.नि. 228, तारीख 28 नवम्बर, 1998;
- (xix) सा.का.नि. 363, तारीख 05 मई, 2011;
- (xx) सा.का.नि. 573(अ), तारीख 08 अगस्त, 2014; और
- (xxi) सा.का.नि. 280(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2021

G.S.R. 634(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the State concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Conduct) Rules, 1968, namely:-

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the All India Services (Conduct) Amendment, Rules, 2021.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Service (Conduct) Rules, 1968, in rule 11, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), a member of the Service, being a member of the Indian delegation or otherwise, may receive and retain gifts from foreign dignitaries in accordance with the provisions of the Foreign Contribution (Acceptance or Retention of Gifts or Presentations) Rules, 2012, as amended from time to time”.

[F. No. 11017/01/2019-AIS-III]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.3, dated the 4th January, 1969 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:-

- (i) G.S.R. 878, dated the 6th June, 1970;
- (ii) G.S.R. 417, dated the 23rd July, 1971;
- (iii) G.S.R. 405, dated the 7th April, 1973;
- (iv) G.S.R. 834, dated the 10th August, 1974;
- (v) G.S.R.1017, dated the 17th July, 1976;
- (vi) G.S.R. 1766, dated the 25th December, 1976;
- (vii) G.S.R. 678, dated the 4th June, 1977;
- (viii) G.S.R.1717, dated the 31st December, 1977;
- (ix) G.S.R. 151, dated the 28th January, 1978;
- (x) G.S.R. 583, dated the 6th May, 1978;
- (xi) G.S.R.1122, dated the 8th September, 1979;
- (xii) G.S.R. 1103, dated the 25th October, 1980;
- (xiii) G.S.R. 1134, dated the 1st November, 1980;
- (xiv) G.S.R.1009, dated the 2nd November, 1985;
- (xv) G.S.R 34, dated the 17th January, 1987;
- (xvi) G.S.R.657, dated the 2nd August, 1988;
- (xvii) G.S.R.52, dated the 4th February, 1995;
- (xviii) G.S.R.228, dated the 28th November, 1998;
- (xix) G.S.R.363 dated the 5th May, 2011;
- (xx) G.S.R. 573(E) dated the 8th August, 2014; and
- (xxi) G.S.R. 280(E) dated the 10th April, 2015.